

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

जगन्नाथ

बनाम

भूमिधारी

किस्म मुकदमा वादपत्र

मुनं० 394 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1146

तारीख हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

12-09-2024

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.10.2024 को पेश हो।

*Anita*  
(अभिजात मान)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीम का थाना (राज.)

8/10 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो 4

20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/1/25 को पेश हो 18

12/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो 18

24/02/2025 पत्रावली पेश हुई। वादी उप. तहसीलदार नीमकाथाना से मिनटवार रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसील जारी होकर व प्रतिवादी की तलबी जारी सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 30/05/2025 को पेश हो।



पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है।  
पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 9/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है।  
पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 11/10/25

06/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट विवादित भूमि ख0नं0 1244/979 रकबा 0.02 है. गै.मु.रास्ता एवं ख0नं0 1245/979 रकबा 0.15 है. कुल किता 02 कुल रकबा 0.17 है0 एवं ख0नं0 1219/961 किरम गै.मु.रास्ता रकबा 0.02 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि मौका स्थिति के अनुसार सही तरमीम नहीं हैं। अतः तहसीलदार नीमकाथाना ने मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:-

### आदेश


तन ग्राम ~~मावण्डा~~ ~~कलम~~ ~~पटवार~~ ~~हल्का~~ ~~मावण्डा~~  
तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित  
वादग्रस्त आराजी 1244/979 रकबा 0.02 है. गै.मु.रास्ता  
एवं ख0नं0 1245/979 रकबा 0.15 है. कुल किता 02

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो  
इस हुकम की तामील में  
जारी हुए

कुल रकबा 0.17 है० एवं ख०न० 1219/961 किस्म गै.मु.  
रास्ता रकबा 0.02 है० में मुताबिक तहसीलदार  
नीमकाथाना रिपोर्ट नक्शे में मौका स्थिति की तरमीम  
शुद्ध/दुरूस्त की जाती हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद  
तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया  
गया।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना